न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 76/2023 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती हरकू पुत्री स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगा बेवा स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक)
2. मैसर्स विल्ड फॉल एस्टेट एण्ड रिसोर्ट्स प्रा.लि., 17, न्याय मार्ग, उदयपुर जरिये प्रतिनिधि श्री हिमाशु जैन, 17, न्याय मार्ग, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कत्तु पुत्री स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सोहनलाल गोद पुत्र स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दि0
20.01.2020 प्रकरण सं0 155/2018

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 19–05–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कलड़वास, तहसील गिर्वा में आराजी [illegible] 1536, 1537 कुल किता 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:44 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 1.7100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1051 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं 1783/1051 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा है। उक्त आराजियात मौरूसी होकर रामा पिता गांगा जी का 1/16 हिस्सा था। रामा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस पत्नी श्रीमती गंगा, पुत्रियां कत्तु व हरकू तथा गोद पुत्र सोहनलाल है। रामा जी के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं होने से उनकी पत्नी गंगा ने दिनांक 03.11.1978 को अपने जेठ के पुत्र सोहनलाल को गोद रखा, जिससे सोहनलाल रामा व गंगा का गोद पुत्र है तथा रामा के 1/16 हिस्से में उसके वारिसान का भी समान हक हिस्सा है, किन्तु विरासत से प्रतिवीाद संख्या गंगा का नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 13.06.2006 को नुमाईशी विक्रय कर दिया है, जो वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी है। अतः विवादित आराजीयात में वादीगण प्रत्येक को 1/64, 1/64 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.01.2020 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.11.2020 को विड्रो के आधार पर खारिज कर दी गयी, जिसे दिनांक 16.10.2023 को पुनः नंबर पर लिया जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता श्री संजय की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि राजीनामा अपीलान्ट हरकू द्वारा नहीं किया गया है, सिर्फ कत्तु व सोहनलाल द्वारा किया गया है। उक्त राजीनामें पर अपीलान्ट हरकू के हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त राजीनामा अपीलान्ट हरकू की ओर से नहीं माना जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा तथा अपीलान्ट हरकू को विवादित आराजीयात के 1/64 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:44 IST
Reason: SelfAttested

4. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि विवादित आराजीयात वर्ष 1978 में ही गंगाबाई के नाम दर्ज हो गयी थी तथा गंगा बाई कर्ता खानदान होने से उसके द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया तथा न्यायालय हाजा में अपीलान्टगण द्वारा अपील विड्रो कर लिये जाने से अब अपील में किसी प्रकार उजर नहीं कर सकती है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। रामा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गंगा जो अपीलान्ट/वादीगण की माता है, उसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ, जिसकी कोई अपील नहीं की गयी है। दावे का निस्तारण गोदनामे को ही लेकर रहा है, जबकि कत्तु व हरकू रामा व गंगा की पुत्रियां होने से उनका पिता की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार है। कत्तु और सोहनलाल जो रामा का गोद पुत्र कहकर आया है तथा उनके द्वारा न्यायालय हाजा में अपील विड्री कर लिये जाने से विड्रो के आधार पर दिनांक 23.11.2020 को अपील खारिज की जा चुकी है, किन्तु अपीलान्ट हरकू के उक्त राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं है। उक्त राजीनामा अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त की जा चुकी है, जबकि अपीलान्ट हरकू का कथन है कि उसके द्वारा कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं की गयी है। न्यायालय हाजा के समक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत हुआ है उसमें अपीलान्ट हरकू के हस्ताक्षर व फोटो नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त राजीनामा श्रीमती हरकू की ओर से प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि रामा के कोई जाईन्दा पुत्र या पुत्री नहीं है, जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत राजीनामें में उनके द्वारा अपीलान्टगण को प्रतिफल राशि दिया जाना अंकित किया गया है। एक तरफ तो प्रतिवादी संख्या 2 अपीलान्ट/वादीगण को रामा का पुत्र व पुत्री नहीं होने का कथन कर विवादित भूमि में अपीलान्ट/वादीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होने का कथन करता है, वहीं दूसरी ओर अपीलान्ट/वादीगण को प्रतिफल राशि दिये जाने का कथन करता है, जो अपने आपमें विरोधाभाषी क[illegible] से स्वीकार्य योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:44 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 5 तनकियां कायम की, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं किया है, जो आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 155/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियों पर पक्षकारों की साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनकर पुनः नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:44 IST
Reason: SelfAttested